BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I N D E X

IN

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of Respondent No. 2 i.e. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand)

IN

O.A. No. 634 OF 2024

News item titled "IAF helicopter roped in to douse fire in Nainital as situation worsens in Uttarakhand district" appearing in the Times of India dated 27.04.2024

Versus

MoEFCC & Ors. ....Respondents

S. No.	Particulars	P. Nos.
1.	Index	1
2.	Response Affidavit	2-6
3.	**ANNEXURE-1** True/photocopy of the report dated 28.06.2024, furnished by the Divisional Forest Officer	7-19
4.	**ANNEXURE-2** True/web copy of the Order dated 17.05.02024 passed by the Hon'ble Supreme Court	20-22

Dated: /07/2024

Advocate on Record
Government of Uttarakhand

2

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of Respondent No. 2 i.e. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand)

IN

O.A. No. 634OF 2024

News item titled "IAF helicopter roped in to douse fire in Nainital as situation worsens in Uttarakhand district" appearing in the Times of India dated 27.04.2024

Versus

1. Ministry of Environment Forest and Climate Change, through its Special Secretary and Director General of Forest, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, New Delhi.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Uttarakhand, Head Quarter 85, Rajpur Road, Dehradun, Uttarakhand 248009.
3. Chief Executive Officer of the State Disaster Management Authority, Uttarakhand, USDMA, Secretariat Campus, 4-B, Subhash Road, Uttarakhand Secretariat, Dehradun
4. Chairman of the State Disaster Management Authority Nainital/District Magistrate of Nainital, Collectorate Office, Nainital, Uttarakhand 263001.

.............Respondents

NOTARIAL

Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.13(01)2002 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

Affidavit of Dr. Dhananjai Mohan (Male), aged about 59 years, S/o Sh. S. S. Rajput, presently posted as Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.

(Deponent)

NOTARY Rajender Singh Negi GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

I, the above named deponent, do hereby solemnly affirm and state on as of:

1. That the deponent is presently posted as Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand, Dehradun. This Hon'ble Tribunal vide its Order dated 30.05.2024, had impleaded the deponent as respondent No.2 in the above noted application, as such he is fully conversant with the facts of the case.

2. That the deponent had received the notice, issued by this Hon'ble Tribunal in the above captioned matter along with the copy of the original application.

3. That as soon the deponent received the notice, issued by this Hon'ble Tribunal, the deponent had directed the Divisional Forest Officer, Nainital Forest Division to look into the matter, take necessary action and furnish the report.

4. That pursuant to the directions, issued by the deponent, the Divisional Forest Officer had furnished his detailed report on the subject matter of the present O.A. which includes the following main facts:

   i. *On the afternoon of 26.04.2024, a sudden fire incident occurred in compartment No. 03 of Ladiyakata Beat of Naina Range, near High Court Colony. Being a pine dominated area, the said forest fire reached near the colony, on which immediate action was taken and instructions were issued to the teams of Naina, Municipality and Bhawali forest areas to immediately reach the spot and secure the populated area first. With the tireless efforts of the Fire Brigade, Police Administration as well as the Forest Department, the populated area could be secured by 4:30 pm and no loss of life or property was reported.*

   ii. *Due to strong winds, the forest fire took a huge form in compartment No. 03 of Ladiyakata Beat of Naina Range and at some distance from the radar area of the Air Force, the forest fire started moving towards the populated area of Ladiyakata area. Under the leadership of Forest Range Officer, Bhawali Forest*

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

4

range, a team of 10 fire watchers, 05 UPNL workers and 10 other workers were sent to Pines and Ladiyakata area of Naina forest range. A team of 15 employees controlled the forest fire in the populated area in the Pines area and a team of 10 employees controlled the forest fire in compartment No. 3 and 4 of Ladiyakata beat of the reserved forest and in the radar area of the Air Force.

iii. *On 27.04.2024, at 7:00 am, in view of the threat of forest fire in the pine dominated area, water was sprayed by Air Force helicopter MI-17 on compartment No. 03 and 04 of the said Ladiyakata beat and the radar areas of the Air Force. While controlling the forest fire, the equipment kept at the radar station was secured. At present the forest fire in the said area has been controlled. In the said incident, the forest fire was controlled by the employees of Naina Forest Range, Municipal Forest Area, the team of Police Administration, Fire Brigade and Air Force. The, Divisional Forest Officer, Nainital Forest Division, vide his letter no. 5829/27-7 dated 27.04.2024, the said information was sent to the Chief Conservator of Forests, Forest Fire and Disaster Management, Uttarakhand, Dehradun.*

iv. *Information about the above incidents was sent by the Chief Conservator of Forests, Forest Fire and Disaster Management, Uttarakhand, Dehradun through its letter no. 723/27-7 dated 27.04.2024 to the Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand, Dehradun. And the copy of the letter was also sent to Deputy Director General, Regional Office, IRO (Integrated Regional Office). Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi and Assistant Inspector General of Forests (AIO), (Forest Conservation Department), Ministry of Environment, Forest and Climate, Government of India, New Delhi.*

v. *It is also noteworthy to mention that in the above incidents that occurred under Nainital Forest Division, Nainital, the forest fire incident was controlled by establishing mutual coordination between the Forest Department, Police Department, Fire Department and the District Administration. Due to which there has been no loss of life or property in any way.*

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

vi. *On 27.04.2024, the news was published in 'The Times of India' newspaper that forest fire was controlled through MI-17 helicopter in Pines, Bhumiyadhar, Jeolikot, Narayannagar, Bhawali, Ramgarh and Mukteshwar. Whereas, on 27.04.2024, through MI-17 helicopter, fire extinguishing work has been done only in Ladiyakata, the radar area of the Air Force. Thus, the facts mentioned in the said newspaper are different from the actual incident.*

vii. *In this case, according to the Action Taken Report (ATR) sent by the Forest Range Officer, Naina Forest Range, on 26.04.2024, a total area of 1.50 hectares has been affected in Ladiyakata Beat, compartment No. 03, near High Court Colony, Pines, Nainital. Whereas, on 27.04.2024, a total area of 2.80 hectares has been affected in compartment No. 03 and 04 and in the radar area of the Air Force.*

Copy of the report dated 28.06.2024 furnished by the Divisional Forest Officer is being annexed and marked as **ANNEXURE-1.**

5. That it is relevant to mention that the issue of forest fire in the State of Uttarakhand is also *sub-judice* before the Hon'ble Apex Court in Civil Appeal No. 1249/2019 & Writ Petition (C) 767/2019. The Hon'ble Supreme Court, after the course of hearing on 17.05.2024, passed certain directions to the State/Department which are being complied by the State in letter and spirit and now the said tagged matters will list in the month of September 2024. Copy of the Order dated 17.05.2024 is being annexed herewith as **ANNEXURE-2.**

6. That the deponent is a responsible government servant having highest regards for the Hon'ble Law Court's and orders passed by them. The deponent cannot even imagine to flout or to disobey the orders passed by this Hon'ble Tribunal. He has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and also shall carry out in future as well.

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg. No. [illegible](01)2002 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

6

I, the above named deponent, do hereby verify that the contents of Para nos. 1 – 3, 6 of this affidavit are true to my personal knowledge, those of Para nos. 4 – 5 of this affidavit are based on records, those of Para nos. ——— of this affidavit are as per the legal advice received and those of Para nos. ——— of this affidavit are as per the information received which all I believe to be true. That no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed.

DEPONENT

So help me God

I, Avnish Gupta, Legal Assistant, Forest Department, Uttarakhand, Dehradun, do hereby identify the deponent who has produced the records of the case and his Aadhar card bearing No. 497746818191 before me and I am satisfied that he is the same person as alleged.

IDENTIFIER

Solemnly affirmed before me today, the 15th day of July, 2024 at 6:00 am/pm by the deponent who has been identified by the aforesaid person.

I have satisfied myself by examining the deponent that he has understood the contents of this affidavit, which have been read over and explained to him.

OATH COMMISSIONER/NOTARY

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Regd. No. ...01/2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

S. No. 3716/24
This Affidavit is Sworn before me by Shri/Smt. Dhanjai Mohan
who is identified by Shri Avnish Gupta
at Dehradun on 15/7/24

Rajender Singh Negi
Advocate & Notary, Dehradun

7

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

E-mail: dfonainital@gmail.com courtcellforestntl@gmail.com Telefax.05942-236790, 231792

पत्रांकः- 6517 / 29–3(3) नैनीताल, दिनाँक- 28 /06/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायालय, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 634/2024, **News Item titled "IAF helicopter roped in to douse fire in Nainital as situation worsens in Uttarakhand district" appearing in The Times of India dated 27.04.2024** के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक– 277/29–5, दिनांक 12.06.2024 द्वारा अपने पत्र में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–30.05.2024 की छायाप्रति। (संलग्न)

महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में नैनीताल क्षेत्र में वनाग्नि के सम्बन्ध में मूल आवेदन संख्या–634/2024, News Item titled "IAF helicopter roped in to douse fire in Nainital as situation worsens in Uttarakhand district" appearing in The Times of India dated 27.04.2024 का स्वतः संज्ञान लिया गया है। जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–30.05.2024 को निम्न आदेश पारित किया गया है–

2. The news item relates to the raging forest fires in Nainital District in Uttarakhand. As per the news item, the fire has now reached the High Court colony in Pines area. The article states that to control the situation an Indian Airforce M-17 helicopter used a Bambi Bucket to collect water from Bhimtal lake and then poured it over the burning forests in various areas of the district, including Pines, Bhumiadhar, Jyolikot, Narayan Nagar, Bhawali, Ramgarh, and Mukteshwar. The article further states that 31 new incidents of forest fire were reported across the state, resulting in the destruction of 33.34 hectares of forest land. The news item states that the fire had engulfed an old, vacant house near the Pines but did not cause any damage to the High Court Colony, although it came dangerously close to the buildings. As a precautionary measure, the district administration has prohibited boating in Naini lake. The news item discloses that since November 1 last year, Uttarakhand has reported a total of 575 incidents of forest fire, affecting 689.89 hectares of forest area and resulting in a cost of more than Rs 14 lakh to the State.

5. Hence, we implead the following as respondents in the matter:

(1).. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, through its Special Secretary and Director General of Forest, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, New Delhi.

(2). Principal Chief Conservator of Forests, Uttarakhand, Head Quarter 85, Rajpur Road, Dehradun, Uttarakhand 248009.

(3). Chief Executive Officer of the State Disaster Management Authority, Uttarakhand, USDMA, Secretariat Campus, 4-B, Subhash Road, Uttarakhand Secretariat, Dehradun.

(4). Chairman of the State Disaster Management Authority, Nainital/District Magistrate of Nainital, Collectorate Office, Nainital, Uttarakhand 263001.

6. Issue notice to the above respondents for filing their response at least one week before the next date of hearing.

7. Similar issue is involved in OA No. 156/2024.

विषयगत प्रकरण में प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से सम्पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। विषयगत प्रकरण में रिपोर्ट मय संलग्नक प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि रिपोर्ट का परीक्षण करने के उपरान्त उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक– 6517 / /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रांक– 277/29–5, दिनांक 12.06.2024 के कम में।
2. मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

संलग्नक–यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक– 6517 / /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायालय, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 634/2024, **News Item titled "IAF helicopter roped in to douse fire in Nainital as situation worsens in Uttarakhand district" appearing in The Times of India dated 27.04.2024** के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट

1. उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय राज्य है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के वन एवं वन्यजीव सहित जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं। उत्तराखण्ड राज्य में 5000–10000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण वन (Temperate Forest) पाये जाते हैं। उत्तराखण्ड के शीतोष्ण वनों की प्रमुख प्रजाति चीड़ (Pinus roxburghii) है। चीड़ वन कार्बनिक, पॉलीमर से भरपूर होते हैं। इस कारण अग्नि की दृष्टि से संवेदनशील होते हैं। चीड़ वनों में माह अप्रैल एवं मई में पिरूल (Pine Needles) गिरती हैं, जो उच्च ताप एवं आर्द्रता के कारण वनाग्नि का प्रमुख कारण बनती हैं।

2. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, टिहरी एवं पौड़ी गढवाल सहित नैनीताल जनपद के पर्वतीय भाग वनाग्नि की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील रहे हैं। उत्तराखण्ड में वनाग्नि की घटनाओं का पुराना इतिहास रहा है। पं0 गोविन्द बल्लभ पंत द्वारा वर्ष–1922 में लिखी गयी पुस्तक "फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स इन कुमाऊँ" (Forest Problems In Kumaon) में भी वनाग्नि के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख इतिहासकार एवं लेखक डॉ0 राम चन्द्र गुहा द्वारा वर्ष–1982 में चिपको आन्दोलन के सम्बन्ध में लिखी गयी पुस्तक द् अनक्वाईड वुड्स (The Unquiet Woods) में भी उत्तराखण्ड की वनाग्नि के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. नैनीताल जनपद के पर्वतीय भाग में स्थित चीड़ वन लगभग खड़े ढालदार पहाड़ों पर स्थित हैं। जहां आग बुझाने का कार्य भी अत्यन्त जोखिम भरा होता है।

4. दिनांक–26.04.2024 को अपरान्ह पाईन्स स्थित उच्च न्यायालय कॉलौनी के समीप नैना रैंज के लड़ियाकाटा बीट के कक्ष संख्या–03 में अचानक अग्गि घटना घटित हुई। चीड़ बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण उक्त वनाग्नि कॉलौनी के समीप पहुंच गयी, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए नैना, नगरपालिका तथा भवाली वन क्षेत्रों की टीमों को तत्काल मौके पर पहुंच कर सर्वप्रथम आबादी क्षेत्र को सुरक्षित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये। फायर ब्रिगेड पुलिस प्रशासन के साथ ही वन विभाग द्वारा अथक प्रयास करते हुए सायं–4:30 बजे आबादी क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया एवं किसी प्रकार की जान–माल की क्षति नहीं होने दी गयी। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक–5828/27–7 दिनांक–27.04.2024 के माध्यम से घटना की सूचना मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की गयी।

5. नैना रैंज के लड़ियाकाटा बीट के कक्ष संख्या–03 व वायुसेना के रडार क्षेत्र से कुछ दूरी पर तेज हवाओं के कारण वनाग्नि ने विकराल रूप ले लिया तथा वनाग्नि लड़ियाकाटा क्षेत्र के आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। वन क्षेत्राधिकारी, भवाली वन क्षेत्र के नेतृत्व में 10 फायर वॉचर, 05 उपनल श्रमिक तथा 10 अन्य श्रमिकों की टीम को नैना वन क्षेत्र के पाईन्स तथा लड़ियाकाटा क्षेत्र में भेजा गया। क्षेत्र में 15 कर्मचारियों की टीम द्वारा पाईन्स क्षेत्र में आबादी में वनाग्नि को नियंत्रित किया गया तथा 10 कर्मचारियों की टीम द्वारा आरक्षित वन के लड़ियाकाटा बीट के क0सं0 3 व 4 तथा वायुसेना के रडार क्षेत्र में वनाग्नि के नियंत्रित करने का कार्य किया गया।

6. दिनांक–27.04.2024 को प्रात–7:00 बजे चीड़ बाहुल्य क्षेत्र की वनाग्नि की विभीषिका के मध्यनजर उक्त लड़ियाकाटा बीट के क0सं0– 03 व 04 व वायुसेना के रडार वाले क्षेत्रों पर वायुसेना के हैलीकॉप्टर एम0आई0–17 द्वारा पानी से छिड़काव किया गया एवं वनाग्नि पर नियन्त्रण करते हुए रडार स्टेशन पर रखे गये उपकरणों को सुरक्षित किया गया। वर्तमान में उक्त क्षेत्र पर वनाग्नि पर नियन्त्रण पा लिया गया है। उक्त घटना में नैना वन क्षेत्र, नगरपालिका वन क्षेत्र के कर्मचारियों तथा पुलिस प्रशासन, फायर बिग्रेड एवं वायु सेना की टीम द्वारा वनाग्नि को नियंत्रित किया गया। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक–5829/27–7 दिनांक–27.04.2024 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचना प्रेषित की गयी।

7. उपरोक्त घटनाओं की सूचना मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक–723/27–7 दिनांक 27.04.2024 के माध्यम से प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचना प्रेषित की गयी। पत्र की प्रति उप–महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, आई0आर0ओ0 (Integrated Regional Office), पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं सहायक वन महानिरीक्षक (AIG), (वन संरक्षण विभाग), पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी प्रेषित की गयी।

8. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के अन्तर्गत घटित उपरोक्त घटनाओं में वन विभाग, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग सहित जनपद प्रशासन द्वारा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए वनाग्नि घटना को नियन्त्रित किया गया। जिससे किसी भी प्रकार से जान–माल की क्षति नहीं हुई है।

9. दिनांक–27.04.2024 को "द् टाईम्स ऑफ इण्डिया" (The Times of India) समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित की गयी कि एम0आई0–17 हैलीकॉप्टर के माध्यम से पाईन्स, भूमियाधार, ज्योलीकोट, नारायणनगर, भवाली, रामगढ़ एवं मुक्तेश्वर में वनाग्नि नियंत्रित की गयी। जबकि एम0आई0–17 हैलीकॉप्टर के माध्यम से दिनांक–27.04.2024 को केवल वायुसेना के रडार वाले क्षेत्र लड़ियाकाटा में ही आग बुझाने का कार्य किया गया है। इस प्रकार उक्त समाचार पत्र में उल्लेखित तथ्य वास्तविक घटना से भिन्न हैं।

10. प्रकरण में वन क्षेत्राधिकारी, नैना वन क्षेत्र द्वारा प्रेषित एक्शन टेकन रिपोर्ट (ए0टी0आर0) के अनुसार दिनांक–26.04.2024 को उच्च न्यायालय कॉलौनी, पाईन्स, नैनीताल के समीप लड़ियाकाटा बीट, कक्ष संख्या–03 में कुल 1.50 हैक्टेअर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जबकि दिनांक–27.04.2024 को कक्ष संख्या–03 व 04 में तथा वायुसेना के रडार क्षेत्र में कुल 2.80 हैक्टेअर क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

11. यह कि दिनांक–26.04.2024 व दिनांक–27.04.2024 को उक्त वनाग्नि घटनाओं के सम्बन्ध में निकटवर्ती ग्रामीणों एवं संस्थानों द्वारा वन विभाग के प्रयासों की सराहना की गयी है एवं इन घटनाओं को नियन्त्रित करने हेतु समस्त सम्बन्धित राजकीय विभागों द्वारा आपसी समन्वय से लोकहित में कार्य किया गया।

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

कार्यालयः मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून।

85 राजपुर रोड़ देहरादून– 248001

दूरभाष : 0135–2744558 ई–मेल: nodalforestfire.uk@gmail.com

पत्रांक 723 / 27–7 देहरादून, दिनांक 27 अप्रैल, 2024।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।

विषय :– नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के अन्तर्गत नैना रेंज के लड़ियाकाटा एवं वायुसेना के रडार क्षेत्र में तथा पाईन्स स्थित उच्च न्यायायल कॉलौनी के समीप दिनांक 26.04.2024 को घटित वनाग्नि दुर्घटना के संबंध में कार्यवाही रिपोर्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के अन्तर्गत नैना रेंज के लड़ियाकाटा एवं वायुसेना के रडार क्षेत्र में तथा पाईन्स स्थित उच्च न्यायायल कॉलौनी के समीप दिनांक 26.04.2024 को घटित वनाग्नि दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल से आख्या प्राप्त की गयी। प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अपने पत्रांक 5828 / 27–7, दिनांक 27.04.2024, एवं पत्रांक 5829 / 27–7, दिनांक 27.04.2024 (छायाप्रतियाँ संलग्न) से प्राप्त आख्या के क्रम में इस वनाग्नि घटना को नियंत्रित करने की कार्यवाही रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

1. दिनांक 26.04.2024 को अपराह्न में पाईन्स स्थित मा0 उच्च न्यायालय कॉलौनी के समीप नैना रेंज के लड़ियाकांटा बीट के कक्ष संख्या–03 में अग्नि घटना हुई। चीड़ बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण वनाग्नि कालौनी के समीप पहुंच गयी, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए नैन, नगर पालिका तथा भवाली वन क्षेत्रों की टीमो द्वारा मौके पर पहुंचकर सर्वप्रथम आबादी क्षेत्र को सुरक्षित किया गया। फायर ब्रिगड, पुलिस प्रशासन के साथ ही वन विभाग द्वारा अथक प्रयास करते हुए सांय 4:30 बजे आवादी क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया, किसी प्रकार की जान–माल की क्षति नहीं होने दी गयी।
2. नैना रेंज के लड़ियाकाटा क्षेत्र तथा वायुसेना के रडार क्षेत्र से कुछ दूरी पर तेज हवाओं के कारण वनाग्नि ने बड़ा रूप ले लिया तथा वनाग्नि लड़ियाकाटा क्षेत्र के आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। वन क्षेत्राधिकारी भवाली रेंज के नैतृत्व में 10 फायर वाचर, 05 उपनल श्रमिक तथा 10 अन्य श्रमिकों की टीम को नैना रेंज के पाईन्स तथा लड़ियाकाटा क्षेत्र में भेजा गया। क्षेत्र में 15 कर्मचारियों की टीम द्वारा पाईन्स क्षेत्र में आबादी मे वनाग्नि को नियंत्रित किया गया तथा 10 कर्मचारियों की टीम द्वारा आरक्षित वन के लड़ियाकाटा बीट के क0नं0 3 व 4 तथा वायुसेना के रडार क्षेत्र में वनाग्नि को नियंत्रित करने का कार्य किया गया। उक्त क्षेत्र बांझ एवं चीड़ बाहुल्य वन क्षेत्र है वनाग्नि विभिषिका के मध्यनजर दिनांक 27.04.2024 के प्रातः 07 बजे वायुसेना के हैलीकॉप्टर एम0आई0–17 द्वारा लड़ियाकाटा बीट के क0नं0 3 व 4 तथा वायुसेना के रडार वाले क्षेत्रों में पानी का छिड़काव किया गया। कर्मचारियों द्वारा लड़ियाकाटा कक्ष संख्या 3 व 4 एवं वायुसेना के रडार क्षेत्र में आग को नियंत्रित किया एवं रडार स्टेशन में रखे गये उपकरणों को बचाया गया। नैना रेंज, नगर पालिका रेंज के कर्मचारियों तथा पुलिस प्रशासन, फायर बिग्रेड एवं सेना की टीम द्वारा वनाग्नि को नियंत्रित किया गया। वर्तमान में उक्त क्षेत्रों में वनाग्नि नियंत्रित हो चुकी है।

अतः कार्यवाही रिपोर्ट सादर सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,
27/4/24
(निशान्त वर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड।

संख्या 723/27-7 दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. DDG, Region Office, IRO, MoEF&CC को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. AIG, MoEF&CC (FPD) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27/4/24
(निशान्त वर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
E-Mail- dfonainital@gmail.com
पत्रांक [illegible] / [illegible] दिनांक, नैनीताल [illegible] अप्रैल, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय – नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल की नैना रेंज के लड़ियाकाटा एवं वायुसेना के रडार वाले क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना के सम्बन्ध में

सन्दर्भ:– वन क्षेत्राधिकारी भवाली की पत्र संख्या 219 / 27–1 दिनाँक 27 अप्रैल, 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल मे दिनांक 26 / 4 / 2024 को नैना रेंज के लड़ियाकाटा क्षेत्र तथा वायुसेना के रडार क्षेत्र से कुछ दूरी पर वनाग्नि की घटना घटित हुई, हवाओं के तीव्र वेग के कारण वनाग्नि ने बड़ा रूप ले लिया तथा वनाग्नि लड़ियाकाटा क्षेत्र के आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। जिसके क्रम में वन क्षेत्राधिकारी, भवाली रेंज के नेतृत्व में भवाली रेंज से 10 फायर वाचर, 5 उपनल श्रमिक, तथा 10 श्रमिकों की टीम बनाकर भवाली रेंज से नैना रेंज के पाईंस तथा लड़ियाकाटा क्षेत्र में आग को नियंत्रित करने हेतु भेजा गया। क्षेत्र में 15 कर्मचारियों की टीम द्वारा पाईस क्षेत्र के आबादी क्षेत्र में वनाग्नि को नियंत्रित किया तथा 10 कर्मचारियों की टीम द्वारा आरक्षित वन के लड़ियाकाटा बीट के कक्ष संख्या 3 एवं 4 तथा वायुसेना के रडार क्षेत्र में वनाग्नि को नियंत्रित करने का कार्य किया गया। इस दौरान नैनीताल से भवाली मोटर मार्ग में काफी धुआं हो गया, जिस कारण मार्ग में घण्टों तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। इस दौरान विभाग द्वारा वनाग्नि को नियंत्रित कर लिया गया।

उक्त क्षेत्र में उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तथा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा अपनी टीम को साथ में लेकर लड़ियाकाटा कक्ष संख्या 3 व 4 एवं वायुसेना के रडार क्षेत्र में आग को नियंत्रित किया एवं रडार स्टेशन में रखे गये उपकरणों को बचाया गया। नैना रेंज, नगर पालिका रेंज के कर्मचारियों तथा पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिग्रेड एवं सेना की टीम द्वारा वनाग्नि को नियंत्रित किया गया।

उक्त क्षेत्र बांज एवं चीड़ बाहूल्य वन क्षेत्र है। क्षेत्र में वनाग्नि की विभिषिका के मद्देनजर जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया गया कि दिनांक 27 / 4 / 2024 को प्रातः 5:00 बजे से वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा लड़ियाकाटा तथा वायुसेना के रडार वाले क्षेत्र में आग पर नियंत्रण पाने हेतु सहयोग किया जायेगा। तत्क्रम में वायुसेना के हेलीकॉप्टर एम० आई० 17 के द्वारा प्रातः 7:000 बजे से भीमताल स्थित झील से पानी भरकर लड़ियाकाटा बीट के कक्ष संख्या 3 व 4 तथा वायुसेना के रडार वाले क्षेत्रों में पानी का छिड़काव किया गया है। वर्तमान में उपरोक्त क्षेत्र में वनाग्नि नियंत्रित हो चुकी है।

अतः अतः महोदय, उपरोक्तानुसार क्षेत्र में घटित वनाग्नि घटना की सूचना सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा प्रेषित सूचना से अवगत होने की कृपा करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल उत्तराखण्ड।
2. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ, वृत्त, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

14

G20

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
E-mail:dfonainital@gmail.com , Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 5828 /27–7 दिनांक 27 /04 /2024.

सेवा मे,

मुख्य वन संरक्षक,
वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **पाईन्स स्थित उच्च न्यायालय कालौनी के समीप दिनांक 20–04–2024 को घटित वनाग्नि दुर्घटना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

दिनांक 26–4–2024 को अपरान्ह पाईन्स स्थित उच्च न्यायालय कालौनी के समीप नैना रैंज के लड़ियाकांटा बीट के कक्ष संख्या– 03 में अचानक अग्नि लग गयी। चीड़ बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण उक्त वनाग्नि कालौनी के समीप पहुँच गयी जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए नैना, नगरपालिका तथा भवाली वन क्षेत्रों की टीमों को तत्काल मौके पर पहुँच कर सर्वप्रथम आवादी क्षेत्र को सुरक्षित किये जाने के निर्देश दिये गये। मौके पर उप प्रभागीय वनाधिकारी मुक्तेश्वर श्री हेम चन्द्र गहतोड़ी को आबादी क्षेत्र को तत्काल सुरक्षित करवाये जाने हेतु भेजा गया। फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन के साथ ही वन विभाग द्वारा अथक प्रयास करते हुए सायं 4.30 बजे आवादी क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया किसी प्रकार की जान–माल की क्षति नहीं होने दी।

आवादी कालौनी को पूर्णतया सुरक्षित करवाये जाने के उपरान्त वन क्षेत्र की वनाग्नि को नियंत्रित करना प्रारम्भ किया गया। चूंकि पाईन्स कालौनी मुख्य मार्ग में चीड़ बाहुल्य क्षेत्र से लगती हुई थी इसलिये वायु गति अत्यन्त तीव्र होने के कारण वनाग्नि का फैलाव शीघ्र हो गया परन्तु किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति आने से पूर्व वनाग्नि को आबादी क्षेत्र के समीप पूर्णतया नियंत्रित कर लिया गया। मौके पर उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल/मुक्तेश्वर के साथ ही नैना/नगरपालिका की टीमें, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन सभी उपलब्ध रहे।

अतः आख्या महोदय की सेवा में प्रेषित।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

संख्या– (1)/ उपर्युक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

13

अतः अतः महोदय, उपरोक्तानुसार क्षेत्र में घटित वनाग्नि घटना की सूचना सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा प्रेषित सूचना से अवगत होने की कृपा करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल उत्तराखण्ड।
2. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ, वृत्त, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

15

नैना वन क्षेत्र – फायर दिनांक 26/04/2024 की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ए०टी०आर०)

S. N.	Division name	Range name	Section/Beat name	Number of total		Action Taken Report			remarks
				R. F.	N F.	No. Of Total fire detectd	forest fire doused (no)	No fire detected (no)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	नैना रेंज	लड़ियाकांटा बीट, लड़ियाकांटा क०न० 3	1	0	1	1	1	लड़ियाकांटा क०न० 03 में 2:30 बजे अपरान्हन अग्नि की सूचना पर प्राप्त हुई, जिसमें नैना, नगरपालिका व भवाली रेंज से टीम वनाकर तत्काल मौके पर पहुँच कर सर्वप्रथम पाईन्स कॉलौनी को सुरक्षित किया गया। मौके पर उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल/मुक्तेश्वर के साथ ही नैना, नगरपालिका व भवाली की टीमें, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन के द्वारा अथक प्रयास कर 4:30 बजे सांय आबादी क्षेत्र व आरक्षित वन को सुरक्षित कर लिया गया। मौके पर आरक्षित वन में जमीनीय घास, झाड़ी, पिरूल व पत्ते जलकर कुल 1.50 है० क्षेत्र में क्षति हुई है।
Total Fire alert R.F./N.F.				1	0	1	1	1	

वन क्षेत्राधिकारी
नैना वन क्षेत्र राजि
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

16

नैना वन क्षेत्र – फायर दिनांक 27/04/2024 की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ए०टी०आर०)

S. N.	Division name	Range name	Section/Beat name	Number of total		Action Taken Report			remarks
				R. F.	N F.	No. Of Total fire detectd	forest fire doused (no)	No fire detected (no)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	नैना रेंज	लड़ियाकांटा बीट, लड़ियाकांटा क०न० 3 व 4	1	0	1	1	1	लड़ियाकांटा क०न० 03, 04 एवं रडार क्षेत्र में दिनांक 26/04/2024 की रात्री में लगी अग्नि द्वारा तीव्र गति की हवाओं, बांज तथा चीड़ बाहुल्य मात्रा में होने के कारण अत्यधिक अग्नि फैल गई, जिसे मौके पर रात्री में वन क्षेत्राधिकारी भवाली के नेतृत्व में 10 फायर वाचर, 5 उपनल श्रमिक द्वारा पाईन्स आवादी क्षेत्र व 10 कर्मचारीयों की टीम द्वारा लड़ियाकांटा क०सं० 3,4 व रडार क्षेत्र में सहयोग किया गया। तत्क्रम में दिनांक 27/04/2024 को प्रातः 7:00 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर एम०आई० 17 के द्वारा भीमताल स्थित झील से लड़ियाकांटा क०न० 3,4 व वायुसेना के रडार क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया गया मौके पर नैना रेंज टीम, नगरपालिका रेंज टीम, भवाली रेंज टीम, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन एवं सेना की टीम द्वारा 2:00 बजे अपरान्हन में वनाग्नि को नियंत्रित कर सम्पूर्ण क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया। मौके पर आरक्षित वन में जमीनीय घास, झाड़ी, पिरूल व पत्ते जलकर कुल 2.80 है० क्षेत्र में क्षति हुई है।
Total Fire alert R.F./N.F.				1	0	1	1	1	

वन क्षेत्राधिकारी
नैना वन क्षेत्र राजि
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

17

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनॉक 26.04.2024 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाईन्स परिसर नैनीताल में वन विभाग का लड़ियाकॉटा क्षेत्र में अपराहन्न में भीषण आग लग गयी थी जिसमें वन विभाग की टीम द्वारा तत्परता से वनाग्नि को बुझाने में पूर्ण सहयोग किया गया एवं शाम तक आग पर काबू पा लिया गया था जिससे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व डा0 भीमराव अम्बेडकर बालक छात्रावास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा।

प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
पाईन्स, नैनीताल।

प्रधानाचार्य
राजकीय औ0 प्र0 संस्थान
पाईन्स, नैनीताल

दिनांक 26.4.2024 रात्री में वन विभाग के भड़ियाकोटा बीट में लगी आग तेज हवा के कारण फैल गई थी जिससे वह हमारे घरों की ओर आ रही थी, मौके पर वन विभाग की टीम द्वारा रात्री तक आग को नियंत्रित किया गया व हमारे घरों को सुरक्षित किया गया दिनांक 27.4.2024 को प्रातः से ही वायु सेना के हैलीकॉप्टर से पानी डाल कर आग पर काबू पा लिया था। उपरोक्त वन अग्नि के जोखिम भरे कार्य हेतु वन विभाग की टीम का धन्यवाद करते हैं।

(1) कमलाबिष्ट

(2) निर्मला दास
पाईन्स कॉलोनी
नैनीताल

(3) जानकी खोलिया
पाईन्स कॉलोनी

(सीमा देवी)
पाईन्स, एयरफोर्स गेट नैनीताल

19

दिनांक 26/04/24 को पाइन्स माननीय उच्च न्यायालय कालोनी के समीप वन विभाग के अधिकारमय क्षेत्र में दिन के समय आग लग गई थी। जिसको वन विभाग की टीम द्वारा मौके पर तुरन्त आकर माननीय उच्च न्यायालय कालोनी को सुरक्षित किया गया एवं साथ ही समीप के लगे जंगल को भी सुरक्षित किया गया। वन विभाग की टीम ने दोपहर से शाम तक अथक प्रयासों के बाद कालोनी व जंगल को सुरक्षित किया गया।

हेम चन्द्र
फ्लड हाउस कॉलोनी
पाइन्स नैनीताल
9917124499.

20

ITEM NO.71 COURT NO.3 SECTION X

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 1249/2019

THE STATE OF UTTARAKHAND FOREST AND
ENVIRONMENT GOVERNMENT OF
UTTARAKHAND PRINCIPAL SECRETARY Appellant(s)

VERSUS

IN THE MATTER OF THE PROTECTION
OF FOREST ENVIRONMENT ECOLOGY
WILDLIFE ETC. FROM THE FOREST FIRE Respondent(s)

(IA No. 1/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T. AND IA No. 2/2017 - PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES)
WITH
C.A. No. 1250/2019 (X)
(IA No. 135275/2017 - CLARIFICATION/DIRECTION, IA No. 12373/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T., IA No. 12369/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T., IA No. 41356/2017 - EXEMPTION FROM FILING O.T., IA No. 12337/2018 - INTERVENTION/IMPLEADMENT, IA No. 12333/2018 - INTERVENTION/IMPLEADMENT, IA No. 41353/2017 - PERMISSION TO FILE ANNEXURES)

CONMT.PET.(C) No. 566/2018 in SLP(C) No. 15477/2017 (X)
(IA No. 79663/2018 - EXEMPTION FROM FILING O.T.)

W.P.(C) No. 767/2019 (PIL-W)
(IA No. 89435/2019 - EXEMPTION FROM FILING O.T., IA No. 32705/2021 - INTERVENTION/IMPLEADMENT, IA No. 148089/2019 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES)

Date : 17-05-2024 These matters were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE MR. JUSTICE B.R. GAVAI
HON'BLE MR. JUSTICE SANDEEP MEHTA

For Appellant(s)
Mr. K. Parameshwar, leaned A.C.
Mr. M.V. Mukunda, Adv.
Ms. Kanti, Adv.
Ms. Aarti Gupta, Adv.
Mr. Chinmay Kalgaonkar, Adv.
Ms. Raji Gururaj, Adv.

Signature Not Verified
Digitally signed by Deepak Singh
Date: 2024.05.20
17:12:32 IST
Reason:

Petitioner-in-person

Mr. Krishna Ballabh Thakur, Adv.

Mr. Shashank Singh, Adv.
Mr. Madan Chandra Karnatak, Adv.
Mr. Ravindra S. Garia, AOR

Mr. Jaswant Singh Rawat, AOR

Mr. Krishna Ballabh Thakur, AOR
Mr. Abhishek Kumar Sharma, Adv.
Mr. Lokesh Kumar Gunjan, Adv.
Ms. Rashmi Kumari, Adv.
Mr. Shashank Singh, Adv.

Mr. Akshat Kumar, AOR
Mr. Jatinder Kumar Sethi, D.A.G.
Mr. Ashutosh Sharma, Adv.

Mr. Rajiv Dutta, applicant-in-person
Ms. Neha Singh, Adv.

For Respondent(s)

Ms. Aishwarya Bhati, ASG
Ms. Suhasini Sen, Adv.
Mr. Shagun Thakur, Adv.

Ms. Namita Choudhary, AOR
Mr. Ashutosh Kumar Sharma, Adv.
Mr. Srishti Choudhary, Adv.

Mr. Akshat Kumar, AOR
Mr. Jatinder Kumar Sethi, D.A.G.
Mr. Ashutosh Sharma, Adv.

Mr. Kuldip Singh, AOR

Mr. Aniruddh Joshi, Adv.
Mr. Ramesh Kumar, Adv.
Mr. Gayan Arora, Adv.
Mr. Umang Shankar, AOR

Applicant-in-person, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

1. Pursuant to our order dated 15th May, 2024, Smt. Radha Raturi, Chief Secretary for the State of Uttarakhand along with Dr. Dhananjai Mohan, IFS, Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Uttarakhand and Mr. Nishant Verma, APCCF,

Forest Department Uttarakhand, are personally present in the Court.

2. Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General has placed on record a copy of the report prepared by the Chief Secretary on behalf of the Government of Uttarakhand showing compliance of the Order dated 15th May 2024.

3. As we have stated earlier, the present litigation is not an adversarial litigation, the only concern is that the precious forest should be saved from the hazards of forest fires.

4. Mr. Tushar Mehta, learned Solicitor General has assured us that the State has taken up the issue seriously and the Chief Secretary, State of Uttarakhand along with the other senior officers would be personally looking into the issue and shall endeavour to find out a permanent solution for avoiding forest fires and bringing it under control at the earliest.

5. The learned Solicitor General further states that he himself, along with the Chief Secretary, the learned Amicus Curiae, Mr. Rajiv Dutta, who appears in person and Mr. Chandra Prakash Goyal, representative of the Central Empowered Committee would sit together for working out a solution.

6. We appreciate the stand taken by the State.

7. List these matters in the month of September, 2024.

(DEEPAK SINGH)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(ANJU KAPOOR)
COURT MASTER (NSH)